

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranas@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.08.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसन्देश टाइम्स, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण – दि० 11.08.2026

भूमि अधिग्रहण की 154 याचिकाएं खारिज

विधि सभाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में सुनाया है।

विवाद वाराणसी के बैरवां और करनदादी गांवों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत हुई अधिग्रहण कार्यवाही से जुड़ा है। यह अधिग्रहण वर्ष 2000 में शुरू हुआ। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वाराणसी ने 10 जनवरी 2024 को शेष भूमि के लिए एक अवार्ड (मुआवजा निर्धारण आदेश) पारित किया था, जिसे इन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने दलील दी कि अवार्ड पुराने कानून के तहत पारित किया गया, जबकि इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत होना चाहिए था। बाजार मूल्य का निर्धारण

आरोपित इनामी क्षितिज ने कोर्ट में किया समर्पण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बीएचयू परिसर में बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा पर फायरिंग के मामले में नामजद आरोपित छात्र क्षितिज उपाध्याय ने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, बीते 21 फरवरी की रात करीब नौ बजे रोशन मिश्रा अपने दोस्त विशाल के साथ बिड़ला-ए छात्रावास के गेट पर खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और रोशन पर असलह से कई राउंड फायरिंग की। गोलियों से बचने के लिए रोशन छात्रावास की ओर भाग गया।



मामले में निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय को नामजद किया गया था। घटना के बाद से क्षितिज फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लंका पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच क्षितिज ने एसीजेएम (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत में समर्पण कर दिया।

2013 अधिनियम के लागू होने की तारीख (एक जनवरी 2014) के आधार पर होना चाहिए था। वीडो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अवार्ड इसी अदालत द्वारा पूर्व में 31 मई 2023 को दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही है। इसमें दिल्ली एयरटेक सर्विसेज बनाम उत्तर

प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने को कहा गया था। 80 प्रतिशत मुआवजे की जमा राशि से जुड़ा मुद्दा पहले ही तय हो चुका है और दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

हिन्दुस्तान – दि० 11.08.2026

भू अधिग्रहण : 154 लोगों की अर्जी रद्द

ट्रांसपोर्ट नगर

प्रयागराज, विधि सभाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडो के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में यह विवाद वाराणसी के बैरवन और करनाडाडी गांवों में की गई अधिग्रहण से जुड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए यह अधिग्रहण वर्ष 2000 में शुरू

- वीडो की कार्रवाई को कोर्ट में दी गई थी चुनौती
- दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचियों के तर्क नहीं माने

हुआ था। इसे लेकर पहले भी तीन बार मुकदमेबाजी हो चुकी है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, वाराणसी ने 10 जनवरी 2024 को शेष भूमि के लिए अवार्ड (मुआवजा निर्धारण आदेश) किया था, जिसे इन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अवार्ड पुराने कानून के तहत किया गया है, जबकि इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में

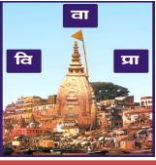
उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत होना चाहिए। यह दलील भी दी गई कि कब्जा लेने से पहले मुआवजे की 80 फीसदी राशि जमा नहीं हुई। अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठता है।

वीडो ने कहा कि अवार्ड इसी कोर्ट के 31 मई 2023 के निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है। उसमें दिल्ली एयरटेक सर्विसेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन करने को कहा गया था। उनके अनुसार 80 प्रतिशत मुआवजे की जमा राशि से जुड़ा मुद्दा पहले ही तय हो चुका है, उसे दोबारा नहीं उठाया जा सकता है।



: cvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awass Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला – दि० 11.08.2026

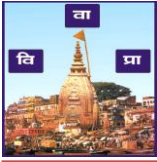
भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 154 याचिकाएं खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की ओर से बैरवां और करनदादी गांवों में किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं पर दिया है।

मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के तहत वर्ष 2000 में शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वाराणसी ने 10 जनवरी 2024 को शेष भूमि के लिए अवॉर्ड पारित किया था। याचियों का कहना था कि मुआवजा 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार तय होना चाहिए था। बाजार मूल्य एक जनवरी 2014 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कब्जा लेने से पहले अनुमानित मुआवजे का 80 प्रतिशत जमा नहीं किया गया। अधिग्रहीत भूमि का इस्तेमाल निर्धारित ट्रांसपोर्ट नगर उद्देश्य के बजाय निजी संस्थाओं को व्यावसायिक दरों पर बेचने में किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित अवार्ड 20 सितंबर 2012 के पूर्व अवार्ड को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एयरटेक सर्विसेज फैसले के अनुरूप पारित किया गया है। अदालत ने पाया कि मुआवजा जमा हो चुका था और वर्ष 2003 में कब्जा भी लिया जा चुका था। ऐसे में अधिग्रहण समाप्त होने का सवाल नहीं उठता। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स— दि० 11.08.2026

गिरफ्तारी देने पहुंचे 250 किसान-मजदूर

प्रदर्शन

जेल भरो आंदोलन में शास्त्री घाट पर सभा के बाद जिला मुख्यालय किया कूच, पुलिस ने रास्ते में रोका

वाराणसी। संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन के अखिल भारतीय जेल भरो आंदोलन के तहत सोमवार को वाराणसी में किसान-मजदूर संगठनों के नेतृत्व में करीब 250 किसानों-मजदूरों ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजबूर कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, एटक, इंटक और किसान महासभा समेत संगठनों के कार्यकर्ता शास्त्री घाट पर जुटे। सभा के बाद जिला मुख्यालय की ओर कूच करने पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने, चारों श्रम संहिताएं रद्द करने, न्यूनतम वेतन 31 हजार, एमएसपी सी2+50 प्रतिशत, बिजली निजीकरण रोकने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग उठाई। साथ ही जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने



तथा भूमि अधिग्रहण कानून-2013 लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी। सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वाराणसी में पुलिस के बल पर किसानों को भयभीत कर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर किसानों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने और खुद जमीन का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आवाज दबाने के खिलाफ आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सभा को सीटू के जिला सचिव देवाशीष, किसान सभा के

जिला सचिव अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष रामजी सिंह, नंदलाल पटेल, एटक नेता अजय मुखर्जी, कामरेड लालमणि वर्मा, शिवशंकर शास्त्री, इंटक के सतीश कुमार दीक्षित, अशोक मिश्रा, किसान नेता चौधरी राजेंद्र, मजदूर नेता मोहन यादव, मिठाई लाल, किसान महासभा के अमरनाथ राजभर, गौरीशंकर पटेल, बुनकर नेता मोबीन अहमद, लक्ष्मण वर्मा, नौजवान सभा के इम्तियाज अहमद, विनय उपाध्याय तथा एसएफआई के शुभम सिंह, संतोष पटेल आदि ने संबोधित किया।

